फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर (ग्रामीण)।

केस संख्या :– /20

	16/10/25	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान आज विवादक प्रस्ताव प्राप्त हुए, जो संलग्न है। बहस उत्थापत्तों की सुनने व मौका कमीशनर की रिपोर्ट का अवलोकन करने पर हम पाते हैं कि वादग्रस्त आराजी ख. नं. 1298 लगायत 1305 किता 8 रकबा 2.07 है। कि वर्तमान जमाबंदी में वादी खातेदार नहीं है। अत: मौका कमीशनर की रिपोर्ट के अनुसार दावा सारहीन हो गया है। सारहीन होने से दावा खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर लेकर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी चाकसू (जयपुर)